"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अक्टूबर 2015—कार्तिक 1, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री रवि प्रकाश गुप्ता, (भा.प्र.से.-2007), उप सचिव, मंत्रालय को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, समाज कल्याण के पद पर पदस्थ करता है.

श्री रवि प्रकाश गुप्ता द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, (भा.प्र.से.-2004) संचालक, समाज कल्याण तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर केवल संचालक, समाज कल्याण के प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur, the 26th September 2015

No. 9267/3201/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Rupal Agrawal D/o Shri Ravindra Kumar Agrawal (Category-P.H. Merit No. 32) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 26th September 2015

No. 9269/3224/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Jasvinder Kaur Ajmani D/o Shri Kartar Singh [Category-Unreserved (F) Merit No. 19] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 6th October 2015

No. 9584/3357/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Amita Jaiswal D/o Shri Kripa Nath Jaiswal [Category-Other Backward Classes (F) Merit No. 29] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 6th October 2015

No. 9586/3373/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Lokesh Kumar S/o Shri J. R. Banjara (Category-Scheduled Caste Merit No. 24) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SAMANTRAY, Principal Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2015

क्रमांक 9652/2852/21-ब/छ.ग./2015.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक के पद पर सुश्री नीलिमा वर्मा, दंतेवाड़ा (छ.ग.) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दंतेवाड़ा के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक दंतेवाड़ा के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2015

क्रमांक 9654/2852/21-ब/छ.ग./2015.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, शासकीय अभिभाषक के पद पर श्री महेन्द्र कुमार जैन, दंतेवाड़ा (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए शासकीय अभिभाषक तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए लोक अभियोजक दंतेवाड़ा के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 3-55/2015/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा-2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि कोण से कालम नम्बर-3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं.-2 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

क्र.	थाना/तह./जिला का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है.	थाना/तह./जिला का नाम जिससे अपवर्जित किया जाना है.	क्षेत्र का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-लुण्ड्रा	थाना-बतौली	गंगापुर	21
	तहसील-लुण्ड्रा	तहसील-बतौली	ऊंचडीह	21
	जिला-सरगुजा.	जिला-सरगुजा	कोट	22

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			लमगांव	22
			असकला	23
			सिलसिला	23
			झेराडीह	30
			बरगीडीह	31
			खाराकोना	31
			पार्वतीपुर	31

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

क्रमांक/एफ 7-11/2015/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री इंदिरा कल्याण एलेसेला, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (ऑपरेशन), बीजापुर को दिनांक 24-08-2015 से 04-09-2015 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए दिनांक 23-08-2015 एवं दिनांक 05, 06-09-2015 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री इंदिरा कल्याण एलेसेला आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (ऑपरेशन), बीजापुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री एलेसेला को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एलेसेला, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री इंदिरा कल्याण एलेसेला, की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (ऑपरेशन), बीजापुर के पद का प्रभार सुश्री उनैजा खातून अंसारी, रापुसे, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, बीजापुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपे जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 07-30/2014/10 (भा.व.से.).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07-08-2015 द्वारा श्री आर. के. गोवर्धन, तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को दिनांक 10-08-2015 से 04-09-2015 तक कुल 26 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. श्री गोवर्धन द्वारा उक्त अर्जित अवकाश निजी कारणों से उपभोग नहीं करने की सूचना ज्ञापन दिनांक 07-09-2015 द्वारा दी गई. अवकाश उपभोग नहीं करने की पुष्टि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28-09-2015 द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गोवर्धन का स्वीकृत उपरोक्त अर्जित अवकाश निरस्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 07-09/2014/10 (भा.व.से.).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24-08-2015 द्वारा श्री बी. एन. द्विवेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), रायपुर को दिनांक 11-08-2015 से 04-09-2015 तक कुल 25 दिवस का अर्जित अवकाश एवं ज्ञापन दिनांक 21-08-2015 द्वारा दिनांक 07-09-2015 से 26-09-2015 तक कुल 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर स्वयं के व्यय पर निजी विदेश प्रवास (स्वीटजरलैण्ड, आस्ट्रिया व हंगरी) की अभिस्वीकृत प्रदान की गई थी. श्री द्विवेदी ने ज्ञापन दिनांक 14-08-2015 को स्वास्थ्य खराब होने की दी गई सूचना दी गई थी. साथ ही ज्ञापन दिनांक 26-09-2015 द्वारा उपरोक्त अर्जित अवकाश एवं विदेश प्रवास का उपभोग नहीं कर पाने की दी गई सूचना के आधार पर राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें स्वीकृत उपरोक्त अर्जित अवकाश निरस्त की जाती है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री बी. एन. द्विवेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) को द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 24-09-2015 के आधार पर उन्हें दिनांक 11-08-2015 से 23-09-2015 तक कुल 44 दिवस का चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति प्रदाय की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 8-1/2014/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक M.P./3530 को दिनांक 14-09-2015 से 13-03-2016 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 10-8/2015/16.—राज्य शासन द्वारा पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 10-8/2015/16, दिनांक 26-05-2015 को अतिक्रमित करते हुये असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा-2 (k) एवं 2 (n) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए असंगठित कर्मकार के रूप में अधिसूचित करने हेतु आय की सीमा निम्नानुसार निर्धारित करता है :—

"ग्रामीण क्षेत्र के लिये रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये) प्रतिमाह एवं नगरीय क्षेत्र के लिये रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये) तक प्रतिमाह आय प्राप्त करने वाले असंगठित कर्मकार."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अब्बास खान, अवर सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 24 सितम्बर 2015

क्रमांक/307/अ.वि.अ./भू-अर्जन/16 अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	बागबाहरा	अमलीडीह प.ह.नं. 20	0.22	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	ग्राम अमलीडीह में पुलिया निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुन्द छ. ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दुर्ग, दिनांक 30 सितम्बर 2015

क्रमांक/106/अ.भू-अ.प्र./03/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-मोहलई, प.ह.नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.505 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	301	0.026
	314	0.020
	316	0.040
	317	0.024
	319	0.032
	330	0.109
	331	0.065
	332	0.137
	338	0.020
	339	0.032
योग	10	0.505

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तीसरी रेल लाईन निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. शंगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2015

क्रमांक 13707/नग्रानि/2015.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में गरियाबंद निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 7790/नग्रानि/2015 रायपुर दिनांक 11 जून 2015 छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 07 अगस्त 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट गरियाबंद निवेश क्षेत्र के ग्रामों की भूमि का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है, एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

गरियाबंद निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम नहरगांव, कोकड़ी, पाथरमोहदा तथा भिलाई ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम भिलाई, मजरकटा, आमदी तथा पारागांव ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम पारागांव तथा डोंगरीगांव ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम डोंगरीगांव, केसोडोर, गरियाबंद तथा नहरगांव ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, आर.डी.ए. बिल्डिंग, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.)

No./13707/T & CP/2015.— The existing land use map and register of Gariaband Planning Area was published in pursuance of sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 7790/T&CP/2015, Raipur dated 11 June 2015, in Chhattisgarh Rajpatra dated 07 August 2015.

Therefore, a notice is hereby given for the general information of the public that the existing land use map and register of village of Gariaband Planning Area so prepared under published are duly adopted by the Director, Town & Country Planning in pursuance of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) , and a copy of the notice is also sent for its publication in "Chhattisgarh Gazette" under sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and register have been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Limits of the Gariaband Planning Area

NORTH	:	Village Nahargaon, Kokdi, Patharmohda and up to the North limit of Bhilai Villages.
WEST	:	Village Bhilai, Majarkata, Amadi and up to the Western limit of Paragaon Villages.
SOUTH	:	Village Paragaon and up to the North limit of Dongarigaon Villages.
EAST	:	Village Dongarigaon, Kesodar, Gariaband and up to the Eastern limit of Nahargaon Villages.

The said adopted maps and register shall be available for inspection of general public at following place during office hours, except holidays for the period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of inspection — Office of the Joint Director, Town & Country Planning, Shastri Chowk , Raipur (C.G.)

संदीप बांगड़े,
संयुक्त संचालक.